मुख्य परीक्षा

एआई और व्यक्तित्व अधिकार

संदर्भ

अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में गूगल और यूट्यूब के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(एआई) द्वारा निर्मित डीपफेक वीडियो, जिनमें उन्हें मनगढ़ंत और अश्लील दृश्यों में दिखाया गया है, उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और वित्तीय नुकसान होता है।

व्यक्तित्व अधिकार क्या हैं -

- यह किसी व्यक्ति के नाम, फ़ोटो, रूप-रंग, आवाज़, और उनकी पहचान के अन्य **पहचान योग्य गुणों** के उपयोग को नियंत्रित करने का **कानूनी अधिकार** है, जो उन्हें **अनधिकृत वाणिज्यिक** या **गैर-वाणिज्यिक शोषण** से बचाता है।

व्यक्तित्व पर सुप्रीम कोर्ट का रुख -

- **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017):** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि **निजता का अधिकार अनुच्छेद-21 के तहत एक मौलिक अधिकार है**, जिसमें व्यक्ति की **पहचान**, **छवि** और **व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण शामिल है।**
- **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016):** न्यायालय ने माना कि **प्रतिष्ठा का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक घटक है**, जो किसी व्यक्ति की पहचान का कोई भी अनधिकृत या अपमानजनक उपयोग असंवैधानिक बनाता है।
- **डीएम एंटरटेनमेंट बनाम बेबी गिफ्ट हाउस (2010) (दिल्ली उच्च न्यायालय, जिस पर बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी भरोसा किया):** इस फैसले में माना गया कि मशहूर हस्तियों के व्यक्तित्व में एक संरक्षित व्यावसायिक हित होता है, जो उनके नाम या समानता के अनधिकृत उपयोग को रोकता है।
- **आईसीसी डेवलपमेंट बनाम अर्वी एंटरप्राइजेज (2003):** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पब्लिसिटी का अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की रक्षा करते हैं और स्पष्ट सहमति के बिना उनका व्यावसायिक रूप से शोषण नहीं किया जा सकता।
- **टाइटन इंडस्ट्रीज बनाम रामकुमार ज्वैलर्स (2012) (दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में उद्धृत):** न्यायालय ने माना कि विज्ञापन में किसी सेलिब्रिटी की छवि का अनधिकृत उपयोग व्यक्तित्व अधिकारों और निजता के अधिकार दोनों का उल्लंघन करता है।

अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण -

- **संयुक्त राज्य अमेरिका - संपत्ति-आधारित मॉडल: व्यक्तित्व अधिकार** जिसे **पब्लिसिटी के अधिकार** के रूप में जाना जाता है, **हस्तांतरणीय संपत्ति के रूप में माना जाता है।**
    - **हेलन लेबोरेटरीज बनाम टॉप्स च्युइंग गम (1953)** में मान्यता प्राप्त।
    - **कई राज्य एआई-विशिष्ट कानून पारित कर रहे हैं:**
        - **टेनेसी एल्विस अधिनियम (2024):** आवाज/समानता की अनधिकृत एआई क्लोनिंग पर प्रतिबंध लगाता है।
        - Character.AI के खिलाफ मुकदमे एआई व्यक्तित्वों के कारण होने वाले नुकसान के लिए बढ़ती जवाबदेही दिखाते हैं।
- **यूरोपीय संघ - गरिमा-आधारित मॉडल**
    - **जीडीपीआर (2016):** व्यक्तिगत या बायोमेट्रिक डेटा को संसाधित करने के लिए स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होती है।
    - **EU AI अधिनियम (2024):** डीपफेक को उच्च जोखिम वाले AI के रूप में लेबल करता है।
        - लेबलिंग, पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करता है।
- **चीन:** बीजिंग इंटरनेट कोर्ट (2024): माना गया कि सिंथेटिक आवाज़ों को उपभोक्ताओं को धोखा नहीं देना चाहिए। इसने **आवाज को व्यक्तित्व अधिकारों के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी।**
    - प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही और एआई पारदर्शिता पर सख्त दायित्व।
- **एआई की नैतिकता पर यूनेस्को की सिफारिश (2021):** अधिकार-आधारित, मानव-केंद्रित ढांचा।
    - पहचान और नैतिक एआई विकास के गैर-शोषण पर जोर देता है।
- **विद्वानों के प्रस्ताव (गुइडो वेस्टकैंप एट अल., 2025):** एआई द्वारा शैली और व्यक्तिगत विनियोग को शामिल करने के लिए व्यक्तित्व अधिकारों का विस्तार करने की वकालत करें।

चुनौतियाँ -

- एआई चेहरों, आवाज़ों और समानताओं की सहज क्लोनिंग को सक्षम बनाता है, जिससे पहचान की चोरी और छद्मवेश धारण करना मौजूदा कानूनों की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाता है।
- डीपफेक प्रामाणिक और मनगढ़ंत सामग्री के बीच के अंतर को धुंधला कर देते हैं, जिससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है और जनता का विश्वास कम होता है।
- भारत में व्यक्तित्व अधिकारों पर एक संहिताबद्ध क़ानून का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप निजता, बौद्धिक संपदा और आईटी कानूनों का प्रवर्तन खंडित है।
- एआई-जनित सामग्री का तेज़ी से, सीमा पार प्रसार क्षेत्राधिकार नियंत्रण को कमज़ोर करता है और निष्कासन तंत्र को अप्रभावी बनाता है।
- प्लेटफ़ॉर्म अक्सर सेफ हार्बर सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की गुमनामी के कारण ज़िम्मेदारी से बचते हैं, जिससे जवाबदेही कमज़ोर होती है।
- अनिवार्य एआई वॉटरमार्किंग और पारदर्शिता आवश्यकताओं का अभाव हेरफेर की गई सामग्री के स्रोत का पता लगाना मुश्किल बना देता है।
- मरणोपरांत डिजिटल मनोरंजन, सहमति और बिना अनुमति के पहचान के व्यावसायिक शोषण को लेकर नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह -

- भारत को एक समर्पित व्यक्तित्व अधिकार अधिनियम लागू करना चाहिए जो पहचान अधिकारों, सहमति की आवश्यकताओं, और दुरुपयोग के विरुद्ध उपचारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे।
- एआई-विशिष्ट विनियमन को डीपफेक को उच्च जोखिम वाली प्रणालियों के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए और वॉटरमार्किंग, खुलासा लेबल (disclosure labels), और ट्रेसेबिलिटी (पता लगाने की क्षमता) को अनिवार्य बनाना चाहिए।
- मध्यवर्ती दायित्व नियमों को तेजी से सामग्री हटाने (takedowns) को सुनिश्चित करने और हानिकारक एआई सामग्री को होस्ट करने पर जुर्माना लगाने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए।
- प्लेटफार्मों को मजबूत पहचान-सत्यापन, डीपफेक पहचान, और सक्रिय निगरानी उपकरणों को लागू करना चाहिए।
- एआई-जनित सामग्री के वैश्विक परिसंचरण को संबोधित करने और सुरक्षा उपायों को मानकीकृत करने के लिए सीमा पार सहयोग तंत्र की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक डिजिटल साक्षरता अभियानों का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि उपयोगकर्ताओं को हेरफेर किए गए मीडिया को पहचानने और दुरुपयोग से बचने में मदद मिल सके।
- नीति डिजाइन को जिम्मेदार एआई नवाचार, अनुसंधान, और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जगह के साथ कठोर सुरक्षा उपायों को संतुलित करना चाहिए।

स्रोत: द हिंदू

प्रारंभिक परीक्षा

चक्रवात दितवाह

संदर्भ

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चक्रवात दितवाह के तेज होने के कारण उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है।

चक्रवात दितवाह के बारे में -

- **यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में बना एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसकी विशेषता तेज़ हवाएँ, भारी वर्षा, गरज और बिजली गिरना है।**
- यह श्रीलंका के तटीय क्षेत्र में बना है।
- यह बंगाल की खाड़ी में तीसरा पोस्ट-मानसून चक्रवात (अक्टूबर-नवंबर सीज़न) है।

स्रोत: एनडीटीवी

संयुक्त राष्ट्र ESCAP एशिया-प्रशांत आपदा रिपोर्ट 2025

संदर्भ

एक नई UN ESCAP एशिया-प्रशांत आपदा रिपोर्ट 2025 जारी की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु -

- **शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव** के कारण एशियाई महानगरों में तापमान में 2-7°C की अतिरिक्त वृद्धि हो रही है, जिससे तापमान वैश्विक तापमान वृद्धि के अनुमानों से कहीं अधिक बढ़ गया है।
- **भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश** सहित दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया में हर साल **300 से ज़्यादा दिन भीषण या अत्यधिक गर्मी पड़ सकती है।**
- **अत्यधिक गर्मी**, चक्रवातों और सूखे जैसे पारंपरिक खतरों को पीछे छोड़ते हुए, **सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जलवायु ख़तरा बन गई है।**
- कमज़ोर समूह—शहरी गरीब, बाहरी कामगार, बच्चे और बुज़ुर्ग—घने, कम आय वाले इलाकों में शीतलन बुनियादी ढाँचे के अभाव के कारण असमान रूप से प्रभावित होते हैं।
- बढ़ती गर्मी और बिगड़ता वायु प्रदूषण एक खतरनाक प्रतिक्रिया चक्र बनाते हैं, जिससे जलवायु और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ते हैं।
- हृदय, श्वसन और तापघात से संबंधित प्रभावों के कारण 2050 तक गर्मी से संबंधित मृत्यु दर दोगुनी हो सकती है।
- श्रम-प्रधान क्षेत्रों में काम के घंटों में भारी वृद्धि देखी जाएगी, जिससे उत्पादकता कम होगी और आर्थिक असमानता बढ़ेगी।
- वार्षिक आपदा क्षति 418 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 500 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, विशेष रूप से उच्च-उत्सर्जन मार्गों के अंतर्गत।
- मौजूदा मौसम सेवाएँ अपर्याप्त बनी हुई हैं, जिनमें से केवल 54% ही अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के लिए चेतावनी जारी करती हैं।

सिफारिशें -

- देशों को बहु-खतरनाक आपदा नियोजन में अत्यधिक गर्मी को केन्द्रीय बनाना चाहिए, तथा राष्ट्रीय लचीलापन रणनीतियों में गर्मी के जोखिमों को एकीकृत करना चाहिए।
- सरकारों को अंतर-संचालनीय अलर्ट, सामान्य मेट्रिक्स और विश्वसनीय अंतिम-मील संचार का उपयोग करके गर्मी-स्वास्थ्य पूर्व चेतावनी प्रणालियों का विस्तार करना चाहिए।
- शहरों को हरित स्थानों, परावर्तक सतहों और गर्मी-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे सहित शहरी पुनर्रचना के माध्यम से जोखिम को कम करने की आवश्यकता है।
- कमजोर आबादी, विशेष रूप से शहरी गरीबों और बाहरी श्रमिकों के लिए लक्षित सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाने चाहिए।
- गर्मी से संबंधित मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए शीतलन सुविधा, स्वच्छ जल और स्वास्थ्य सेवा में निवेश आवश्यक है।

स्रोत: डीटीई

सिरपुर पुरातत्व स्थल

संदर्भ

छत्तीसगढ़ सिरपुर पुरातात्विक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास तेज कर रहा है।

सिरपुर पुरातत्व स्थल के बारे में -

- **सिरपुर, जिसे श्रीपुर/श्रीपुरा के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख बहु-धार्मिक नगरीय केंद्र था।**
- इसका प्रथम दस्तावेजीकरण 1882 में एएसआई के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था।
- 1950, 1990 और 2003 के दशकों में चरणों में उत्खनन कार्य पुनः आरंभ हुआ।
- **महानदी नदी के किनारे स्थित, यह घाटों और मंदिर समूहों के साथ एक नदी तटीय सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण करता है।**
- **पांडुवंशी और बाद में सोमवंशी राजाओं के अधीन दक्षिण कोसल की राजधानी के रूप में कार्य करता था।**
- **उत्खनन में 22 शिव मंदिर, 5 विष्णु मंदिर, 10 बौद्ध विहार और 3 जैन विहार मिले।**
- सबसे पुराने स्मारक **5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व** के हैं।
    - **प्रमुख स्मारक:**
        - **लक्ष्मण मंदिर (7वीं शताब्दी):** विष्णु को समर्पित भारत के बेहतरीन प्रारंभिक ईंट मंदिरों में से एक।
        - **सुरंग टीला परिसर:** 37 सीढ़ियों वाली ऊंची छत पर निर्मित नाटकीय संरचना, जिसमें पंचायतन शैली के मंदिर हैं।
        - **तिवरदेव महाविहार:** बौद्ध मठ जिसमें एक महत्वपूर्ण बुद्ध प्रतिमा है।
        - **छठी शताब्दी का बाज़ार मिला**, जो सिरपुर की एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में भूमिका को दर्शाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EIR) कार्यक्रम

संदर्भ

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद(BRIC) की वार्षिक बैठक में केंद्रीय मंत्री ने EIR कार्यक्रम को भारत के जैव प्रौद्योगिकी नवाचार के प्रमुख चालक के रूप में रेखांकित किया।

EIR कार्यक्रम के बारे में -

- **यह एक पहल है जिसे उच्च क्षमता वाले विचारों को व्यवहार्य स्टार्टअप में परिवर्तित करने में प्रारंभिक चरण के नवप्रवर्तकों, शोधकर्ताओं और युवा उद्यमियों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**
- यह वैज्ञानिक अनुसंधान और बाजार के लिए तैयार नवाचार के बीच की खाई को पाटने के लिए अनुसंधान संस्थानों या इन्क्यूबेटरों के भीतर एक संरचित, परामर्श वातावरण प्रदान करता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
    - **9-18 महीनों के लिए फैलोशिप/वजीफा (Stipend)** समर्थन (NIDHI-EIR, BIRAC EIR जैसी योजना के अनुसार भिन्न होता है)।
    - प्रयोगशालाओं, अनुसंधान सुविधाओं, इनक्यूबेटर, सलाहकारों और निवेशक नेटवर्क तक पहुंच।
    - व्यवसाय विकास, आईपी फाइलिंग, नियामक मार्ग, धन उगाहने और उत्पाद सत्यापन पर मार्गदर्शन।

स्रोत: पीआईबी

बेनी मेनाशे समुदाय

संदर्भ

इजरायली सरकार ने 5 वर्षों के भीतर पूर्वोत्तर भारत से शेष 5,800 बेनी मेनाशे को स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य 2030 तक उनके आव्रजन को पूरा करना है।

बेनी मेनाशे समुदाय के बारे में -

- **मेनाशे या बेनी मेनाशे समुदाय की उत्पत्ति पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्यों से हुई है।**
- **वे मुख्य रूप से चिन, कूकी, मिज़ो, और ज़ो जातीय समूहों से जुड़े हुए हैं।**

- **समुदाय का मानना है कि वे बाइबिल में वर्णित मेनाशे जनजाति के वंशज है, जो कि इज़राइल की दस खोई हुई जनजातियों में से एक है, जिसे लगभग 2,700 साल पहले असीरियन साम्राज्य द्वारा निर्वासित किया गया था।**
- यद्यपि वे मूल रूप से ईसाई थे, लेकिन कई लोग तब से यहूदी धर्म अपना चुके हैं और सुकोट (Sukkot) जैसे यहूदी रीति-रिवाजों और त्योहारों का अभ्यास करते हैं।
- पिछले कुछ दशकों में, उन्होंने तेजी से यहूदी धार्मिक पहचान और अनुष्ठानों को अपनाया है।
- **2005 में, उन्हें इज़राइल द्वारा औपचारिक रूप से "ज़ेरा यिसराएल" (इजरायल वंश के लोग) के रूप में मान्यता दी गई, जिससे उन्हें आव्रजन (immigration) के अधिकार प्राप्त हुए।**

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान

संदर्भ

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त(CEC) 2026 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान (इंटरनेशनल IDEA) के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के बारे में-

- **यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1995 में दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र को मज़बूत करने और उसका समर्थन करने के उद्देश्य से की गई थी।**
- इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और इसका **मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन** में स्थित है।
- **इसका मिशन सभी के लिए समावेशी और लचीले लोकतांत्रिक समाजों के दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित, स्थायी लोकतंत्रों को आगे बढ़ाना, बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है।**
- इंटरनेशनल IDEA ज्ञान सृजन, क्षमता निर्माण, वकालत और संवाद सुगमता के माध्यम से अपना कार्य करता है।
- इसकी गतिविधियाँ छह मुख्य विषयगत कार्यधाराओं के इर्द-गिर्द संरचित हैं।
- **इस संगठन के 35 सदस्य देश हैं, जिनमें जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं, और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है।**

स्रोत: पीआईबी

राष्ट्रमंडल खेल (Commonwealth Games)

संदर्भ

अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा।

राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में -

- **पहली बार आयोजित: 1930, हैमिल्टन (कनाडा)**
- मूल रूप से इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था; बाद में इसका नाम बदलकर: ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स (1954-66), ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स (1970-74), कॉमनवेल्थ गेम्स (1978 से) कर दिया गया।
- **कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (CGF) द्वारा शासित।**
- **प्रतिभागियों में शामिल हैं:**
  - राष्ट्रमंडल संप्रभु राष्ट्र (जैसे, भारत, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया)
  - ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र (जैसे, बरमूडा)
  - क्राउन डिपेंडेंसीज़ (जैसे, जर्सी, ग्वेर्नसे)
- **भारत ने पहली बार 1934 में भाग लिया था।**
  - **एक बार होस्ट किया गया:** 2010 नई दिल्ली।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) विधेयक, 2025

संदर्भ

केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) विधेयक 2025 पेश करने के लिए तैयार है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- यह NEP-2020 द्वारा उच्च शिक्षा (चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर) के लिए एकल शीर्ष नियामक की सिफारिश के पांच साल बाद आया है।

HECI विधेयक 2025 के बारे में -

- **HECI की परिकल्पना भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र (चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर) के लिए एक एकल, व्यापक नियामक के रूप में की गई है।**
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
    - **यह निम्नलिखित का स्थान लेगा:** **UGC**-उच्च शिक्षा नियामक, **AICTE**- तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा नियामक,**NCTE** - शिक्षक शिक्षा नियामक
    - **चार स्वतंत्र निकाय (NEP 2020 के अनुसार):** इस विधेयक में NEP मॉडल का अनुसरण करने की उम्मीद है, जिसमें HECI के अंतर्गत चार निकाय शामिल होंगे:
        - **राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (NHERC):** चिकित्सा और कानूनी क्षेत्रों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को नियंत्रित करती है
        - **राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC):** राष्ट्रीय प्रत्यायनकर्ता बन जाता है
        - **सामान्य शिक्षा परिषद (GEC):** राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (**NHEQF**) तैयार करता है
        - **उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC):** फंडिंग फ्रेमवर्क को संभालती है लेकिन अंतिम फंड वितरण सरकार के पास रहने की संभावना है, HECI के साथ नहीं।

2018 HECI विधेयक

यह यूजीसी अधिनियम, 1956 को निरस्त करने और केवल यूजीसी को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नए एचईसीआई (HECI) के निर्माण का प्रस्ताव करता है, जिसे एक अध्यक्ष (Chairperson), एक उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson), 12 केंद्र-नियुक्त सदस्यों (एआईसीटीई और एनसीटीई के प्रमुखों सहित, लेकिन उन्हें आपस में विलय किए बिना) के साथ संरचित किया जाएगा, जबकि सभी फंडिंग शक्तियाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास ही रहेंगी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

समाचार में प्रजातियां

हॉफिंच

समाचार? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला जोन में एक हॉफिंच देखा गया।

हॉफिंच के बारे में -

- **वितरण:** मंगोलिया और कजाकिस्तान सहित यूरोप और समशीतोष्ण एशिया के मूल निवासी।
  - दक्षिण एशिया में शायद ही कभी देखा जाता है; एक आवारा पक्षी माना जाता है जब इसे अपनी सामान्य सीमा से बहुत दूर देखा जाता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - उत्तरी आबादियाँ सर्दियों के दौरान दक्षिण की ओर पलायन करती हैं।
  - तूफ़ान के कारण विस्थापन, नेविगेशन त्रुटियों, या झुंड से अलग होने के कारण अकेले पक्षी अप्रत्याशित स्थानों पर दिखाई दे सकते हैं।
  - **अपनी बड़ी, शक्तिशाली चोंच के लिए जाने जाते हैं जो कठोर बीजों, मेवों और जामुनों को तोड़ सकती है।**
  - दोनों लिंग एक जैसे दिखते हैं; नर के पंख थोड़े गहरे रंग के होते हैं।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN:** न्यूनतम चिंता (Least Concern, LC)

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स